भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2405

जिसका उत्तर 08 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

वित्तीय घोटाले

2405. श्री खगेन मुर्मु:
डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्च लाभ का वादा कर निवेश के लिए ग्राहकों को आकर्षित कर उन्हें झांसा देने वाले वित्तीय घोटालों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बंगाल सहित देश में विभिन्न चिट फंड एवं पोंज़ी योजनाओं से संबंधित घोटाले दर्ज किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त घोटालों से निपटने के लिए अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 को प्रख्यापित कर दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में वित्तीय घोटालों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): विनियामकों और प्रवर्तन एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के अनुसार विवरण निम्निानुसार हैः

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठकों में अनधिकृत जमाराशि संग्रह करने से संबंधित 1288 मामलों पर चर्चा हुई थी। इनमें से 155 मामले पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं और इनके संबंध में पश्चिम बंगाल में एसएलसीसी की विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई थी।
- आरबीआई का सचेत पोर्टल जो एसएलसीसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, लोगों को धोखाधड़ियों की शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें जमाराशियों का पुनर्भुगतान न करने और विभिन्न प्रकार की निवेश योजनाओं के लिए धन संग्रह करने (वर्ष 2016-17 में 1461, वर्ष 2017-18 में 1683 और वर्ष 2018-19 में 2081) के मामलों से संबंधित 5225 शिकायतें (अगस्त, 2016 में पोर्टल के आरंभ होने से) प्राप्त हुई हैं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विगत चार वर्ष के दौरान सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999 का अनुपालन नहीं करने के लिए 75 संस्थाओं (वर्ष 2015-16 में 34, वर्ष 2016-17 में 11, वर्ष 2017-18 में 19 और वर्ष 2018-19 में 11) के विरुद्ध आदेश जारी किए हैं। सेबी ने विगत चार वर्ष के दौरान कानून के उल्लंघन में इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जनता को जारी करने के संबंध में भी 34 आदेश (वर्ष 2015-16 में 5, वर्ष 2016-17 में 3, वर्ष 2017-18 में 16, वर्ष 2018-19 में 8 और वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.05.2019 तक 2) जारी किए हैं।
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्ष के दौरान ईडी ने चिट फंड और पोंजी योजनाओं से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 27 मामलों में जांच आरंभ की है।

- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने निवेश घोटालों (जैसे कि चिट फंड घोटाला/ एमएलएम/पौंजी योजनाओं) में कथित रूप से संलग्न 109 कंपनियों के मामलों में जांच के आदेश दिए हैं और विगत तीन वर्ष(वर्ष2015-16 में 47, वर्ष2016-17 में 27, वर्ष2017-18 में 34 और वर्ष2018-19 में 1) के दौरान उन्हें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय(एसएफआईओ) को सौंपा है।
- केन्द्रीयअन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विगत चार वर्ष के दौरान चिट फंड/पौंजी कंपनियों से संबंधित 166 मामले (वर्ष 2015 में 14, वर्ष 2016 में 23, वर्ष 2017 में 109 और वर्ष 2018 में दिनांक 30.11.2018 तक 20) दर्ज किए हैं।

(घ): जी, हां। माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21.02.219 को अवनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 को प्रख्यापित किया गया था और यह उसी तिथि से प्रभावी हो गया है। इस अध्यादेश में देश में अवैध जमा स्वीकार करने वाले कार्यकलापों से निपटने और जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। अध्यादेश में स्थायी पाबंदी का उपबंध है जो जमा स्वीकारकर्ताओं को किसी अवनियमित निक्षेप स्कीम का संवर्द्धन, परिचालन, विज्ञापन जारी करने या जमा स्वीकार करने के संबंध में पाबंदी करता है। अध्यादेश निवारक के रूप में इस कृत्य के लिए कठोर दंड और भारी आर्थिक जुर्माना लगाने का भी प्रावधान करता है।

(ङ.): सरकार द्वारा अनधिकृत योजनाओं को बंद करने और आम जनता को उसकी गाढ़ी कमाई के नुकसान से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनता से अवैध रूप से जमा धनराशि संग्रह करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जमाकर्ता हित संरक्षण(पीआईडी) अधिनियम पारित किया है।
- सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य सरकारों के सभी कार्यालयों, विधि प्रवर्तन एजेन्सियों, विनियामकों, इत्यादि की भागीदारी के साथ एसएलसीसी की स्थापना की गयी है। राज्य के मुख्य सचिव को अध्यक्ष के रूप में रखते हुए अप्रैल,2014 में एसएलसीसी को पुनर्गठित किया गया था और ऐसी बैठकों की आवृत्ति को वर्ष में दो बार से बढ़ाकर वर्ष में चार बार किया गया है।
- आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) के शीर्ष तथा समाचार पत्रों/रेडियो/टेलीविजन में विज्ञापनों के माध्यम से पौंजी योजनाओं के संबंध में जनता को सूचित किया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल सचेत (https://sachet.rbi.org.in) के माध्यम से जनता को धोखाधड़ीपूर्ण योजनाओं/ संस्थाओं के विरुद्ध चेतावनी दी गयी है।
- सेबी को सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11क के अंतर्गत सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गयी है। प्रतिभूति बाजार में अनियमितताओं के संबंध में सेबी को सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जांच करने, यथोचित प्रवर्तन कार्रवाई करने और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- ईडी को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा), धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) और भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के उपबंधों को लागू करने तथा उनके उल्लंघन की जांच करने के लिए अधिदेशित किया गया है।
- एमसीए लोगों को कोई निवेश करने से पूर्व योजना आदि में शामिल लोगों के संबंध में प्रकाशित सूचना विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट से बताने के लिए शिक्षित करने हेतु निवेशक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

*****